

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मई 2001

क.एफ. 21-13-87-दस-1. — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा में भरती संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 हैं.
- (2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषाएँ — इन नियमों, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (क) सेवा या पद के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोचित की जाए.
 - (ख) “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची —चार के कालम (6) में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार गठित चयन समिति.
 - (ग) “उप वन क्षेत्रपाल” से अभिप्रेत है उप वन क्षेत्रपाल पार्क गेम निरीक्षक.
 - (घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है नियम-11 के अधीन सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा
 - (ङ) “वनरक्षक” से अभिप्रेत वन रक्षक वन सेवक, गेमगार्ड
 - (च) “वनपाल” से अभिप्रेत, वनपाल, वन विस्तार सहायक गेम उप निरीक्षक.
 - (छ) “सरकार” से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के सरकार.
 - (ज) “राज्यपाल” से अभिप्रेत मध्यप्रदेश के राज्यपाल
 - (झ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.
 - (ञ) “अनुसूची” से अभिप्रेत इन नियमों के संलग्न सूची.
 - (ट) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति, का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ड़) "सेवा" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा,

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा लागू होना – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में यथाविनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हैं.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गये हो, तथा

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची – एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी.

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् –

(क) सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या दोनों तरीकों द्वारा.

(ख) अनुसूची –चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद, जैसे कि इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची – एक में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ, अनुसूची –दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात में होते हुए भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की आवश्यकताओं द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त

उपनियम में विनिर्दिष्ट किये गये सेवा भरती के उन तरीकों से विभिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा जैसा वह इस निर्मित जारी आदेश द्वारा विहित करें.

7. सेवा में नियुक्ति – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा के समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में यथाविनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें – चयन/ प्रतियोगी परीक्षा, में पात्रता के लिए अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् –

(एक) आयु –

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची "तीन" के कालम (3) में यथाविहित आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाउल्लिखित आयु प्राप्त न की हो.

(ख) यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) मध्यप्रदेश, सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम 1977 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

1. " परन्तु वन रक्षकों के पद पर भर्ती के लिए उपरोक्त उपबंध लागू नहीं होगा ।"

(म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-3-47/2008/दस-1 दि. 09.06.08 द्वारा संशोधित)

(घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हो या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी –

(एक) कोई अभ्यार्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कोई अभ्यार्थी जो पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यार्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवाओं के अधिकतम 7 वर्ष तक, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा के तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटक इकाईयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि

तक निरन्तर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) कोई अभ्यार्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द (टर्म) “भूतपूर्व सैनिक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा किए गये आवेदन की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या जो अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया था।

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन नियुक्त कर दिया गया हो।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भरती किया गया हो और जिन्हें –
 - (क) अल्पकालिक वचनवद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भरती की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवान्मुक्त कर दिया गया हो।
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक।
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये हो।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किया गया है।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लगने से घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।
- (इ) विधवा, निराश्रित एवं तालाशुदा महिला अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत उच्च जाति के पति-पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों की, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेवा (होमगार्ड) के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी :- (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) तथा (2) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पूर्व या उसके पश्चात् में सेवा से त्याग पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी :- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थिति होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन में दर्शाया गया है, परन्तु -

(क) अपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर समिति, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हित मान सकेगी, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो समिति की राय में अभ्यर्थी के चयन के लिए विचारण को न्यायोचित ठहराती हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्हित हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं उपाधियों प्राप्त की हैं, समिति के विवेक अनुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित के लिए विचार किया जा सकेगा.

(3) शारीरिक अर्हताएं - (क) वनरक्षक के पद पर सीधी भरती के लिए अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा यथा विहित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी और साथ ही पुरुषों के मामले में 4 घण्टे में 25 किलोमीटर एवं महिला के मामले में 4 घण्टे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी इसके साथ ही उसे विहित शारीरिक उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा.

(ख) वनरक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक प्रमाण	पुरुष अभ्यार्थी	महिला अभ्यार्थी
ऊँचाई	163 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर
सीना सामान्य	79 सेंटीमीटर न्यूनतम	74 सेंटीमीटर न्यूनतम
सीने का न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	05 सेंटीमीटर

टिप्पणी : अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यार्थी की न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यार्थी की 145 सेंटीमीटर होना चाहिये.

मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का (बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर/फुलाने के पश्चात् 79 सेंटीमीटर) शिथिलीकरण किया जाएगा.

(4) फीस – अभ्यार्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का सन्दाय करना होगा.

9. निरर्हता : अभ्यार्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

10. अभ्यार्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा— परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यार्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी ऐसे अभ्यार्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. परीक्षा साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

11. (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती – (एक) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्त प्राधिकारी सरकार परामर्श से समय समय पर अवधारित करें.

(दो) परीक्षा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जावेगी.

(2) साक्षात्कार द्वारा सीधी भरती – (एक) सेवा में अभ्यार्थी का चयन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय –समय पर अवधारित करें.

(दो) सेवा में अभ्यार्थी का चयन, चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लेकर किया जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर, चयन समिति नाम निर्दिष्ट की जाएगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994 में अंतर्विष्टि उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे)

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1977 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यार्थी की, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यार्थियों को जिनकी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने संबंधी सिफारिश की गई हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि यह संभावना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए अनुभव की शर्त शिथिल कर सकेगा.

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यार्थियों की सूची – (1) चयन समिति ऐसे अभ्यार्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि समिति अवधारित करें, योग्यता के क्रम में बनाई गई सूची और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यार्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. सूची को सभी की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम योग्यता सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यकता समझी जाए, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यार्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) सूची, समिति द्वारा उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. परीक्षा – सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

14. समयबद्ध वेतनमान हेतु पात्रता की शर्तें – (1) सेवा के सदस्यों को अनुसूची छह के कॉलम (3) में यथादर्शित समयबद्ध वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा अर्थात:-

(एक) यदि उसने सेवा के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, किन्तु 24 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं और उसे उसकी नियुक्ति के समय प्रारंभिक वेतनमान के अलावा पदोन्नति के कारण या अन्यथा तत्स्थानी वेतनमान के सिवाये कोई अन्य वेतनमान नहीं दिया गया था. या

(दो) यदि उसने सेवा के 24 वर्ष पूर्ण कर लिये हों और उसकी नियुक्ति के समय प्रारंभिक वेतनमान के अलावा उसे पदोन्नति के कारण या अन्यथा तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान नहीं दिया गया था.

(2) सदस्य का वेतन समयबद्ध वेतनमान के अगले प्रक्रम (स्टेज) पर नियत किया जाएगा. परन्तु जहां सेवा का सदस्य समयबद्ध वेतनमान में अपने वेतन का आहरण कर रहा हो और उसे पदोन्नति किया जाएगा तो ऐसी पदोन्नति के पश्चात् उसका वेतन इस प्रकार नियत किया जाएगा जैसा कि वह अपने वेतन का आहरण पूर्व वेतनमान में कर रहा था और समयबद्ध वेतनमान के कारण उसको वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया गया था.

(3) समयबद्ध वेतनमान का लाभ देने के लिए सदस्य की पूर्ववर्ती पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट पर विचार उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि पदोन्नति के मामले में किया जाता है और समयबद्ध वेतनमान का लाभ तभी दिया जाएगा जबकि सदस्य को उपयुक्त पाया जाए.

(4) समयबद्ध वेतनमान के कारण संबंधित सदस्य के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति – (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची "चार" में यथा उल्लिखित सदस्य होंगे.

परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्धों का अनुसरण किया जाएगा.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में होगी.

(3) उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पदों पर पदोन्नति कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे भारत के किसी फारेस्ट रेन्जर कॉलेज में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करें, उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे पदोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करें, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत कर्मचारी को जब तक वह विहित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेता, वेतनवृद्धि मन्जूर नहीं की जायेगी.

(4) बिना पारी पदोन्नति (आउट ऑफ प्रमोशन), ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए वृक्षों का अवैध कटाई रोकने में, वनों तथा वन भूमि और अन्य वन जीवन को संरक्षित करने में शिकार की चोरी रोकने में, वन्य पशुओं की खालों, सींगों तथा हड्डियों को अभिगृहित करने में, सम्पदा को

आग से संरक्षित करने में असाधारण साहस प्रदर्शित किया हो और वन रोपण तथा अन्य विकास कार्य आदि को उत्कृष्टता से किया हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए “बिना पारी पदोन्नति” दी जाएगी :-

- (क) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हों और इस स्तर को न्यूनतम तीन वर्ष तक बनाए रखा हो.
- (ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तावित ऐसे मामलों में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाये जाने के पश्चात् दण्ड के लिए आदेश पारित कर दिया हो.
- (ग) कर्मचारी से संबंधित उत्कृष्ट कार्य का मूल्यांकन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो वन संरक्षक के पद (रैंक) से नीचे का न हो और उस कर्मचारी के कार्य को वृत्त (सर्कल) में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की तुलना में सर्वोत्तम श्रेणी दी गई हो.
- (घ) ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत या विभागीय जांच आदेशित या प्रस्तावित नहीं होनी चाहिए.
- (ङ) बिना पारी के पदोन्नति के लिए प्रत्येक केडर में कुल पद, केडर के पद स्थाई पद के कतिपय प्रतिशत तक सीमित होंगे.
- (च) बिना पारी के पदोन्नति का प्रस्ताव वन संरक्षक द्वारा आरंभ किया जायेगा तथा सक्षम अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् आदेश जारी करेगा.
- (5) रिक्त आरक्षित पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

16. पदोन्नति /स्थानांतरण हेतु पात्रता की शर्तें – (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जाना है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें सरकार ने उनके समतुल्य घोषित किया गया हो, उतने वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मौलिक रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा), नियम, 1997 के उपबंध, पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु लागू होगी.

(3) ऐसे वनपाल जिन्होंने राज्य के प्रशिक्षण स्कूल से वनपाल के लिए विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, उप वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे.

टिप्पणी – ऐसे कर्मचारी भी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, यदि उन्हें विहित प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई हो.

(4) कर्मचारी को प्रथम पदोन्नति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अनुसूचित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष की पूर्ण सेवा नहीं कर ले, इससे अभिप्रेत है, अनुसूचित क्षेत्र में तीन वर्ष की सेवा – पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त होगी.

टिप्पणी – उपर्युक्त नियम के अनुपालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-41-83-1 दिनांक 11 जनवरी 1984 का अनुसरण किया जाएगा.

17. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना – (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 16 में विहित शर्तों को पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपर्युक्त ठहराया गया हो यह सूची चयन सूची की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति /पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(2) चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर तथा तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए, मानदण्ड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची को तैयार करने के समय चयन सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम अनुसूची "चार" के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता तथा उपयुक्तता का हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण – ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नति नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से हो, उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाये, तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलेखित करेगी.

18. चयन सूची – (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो यह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियाँ, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गये पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों, पदोन्नत के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक नियम 17 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता, उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण में या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और समिति यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची में से हटा सकेगी.

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति – (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसे अपेक्षित हो, वहां किसी व्यक्ति, जिसका नाम उपयुक्त व्यक्तियों की चयन सूची में सम्मिलित नहीं है या जो उपयुक्त व्यक्तियों की चयन सूची में ठीक अगले क्रम में नहीं हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार को यह समाधान हो जाए कि रिक्ति को तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है

(2) ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के लिए समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसा गिरावट न आ गई है जिससे कि वह नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

20. प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्ति – विहित प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने पर सीधी भरती किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नीचे दिये अनुसार की जायेगी –

वनपाल पाठ्यक्रम :- वनपाल

21. परीक्षण : सेवा में पदोन्नत प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जायेगा.

22. निर्वचन – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

23. शिथिलीकरण – इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को समिति या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

24. व्यावृत्ति — इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित किए जाने वाले आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं डालेगी.

25. निरसन और व्यावृत्ति — इन नियमों के तत्स्थानों और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अनुराग श्रीवास्तव, उप सचिव